न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।
विविध अपील वाद संख्या–08/2023
जीवन यादव वगैरह
बनाम्
बालेश्वर यादव

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी जीवन यादव वो रूपलाल यादव दोनों के पिता–बढ़न यादव ग्राम–कलकलिया थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के विविध अपील वाद संख्या–02/2021–22 में दिनांक–20.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के अलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा विविध अपील वाद संख्या–02/2021–22 में दिनांक–20.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। मौजा–कलकलिया के गत सर्वे खाता नं0–206, प्लॉट नं0–2775, 2701, 2760, 2766, 2786, 2765 के खतियानी रैयत धरम महतो थे। धरम महतो के एक पुत्र रघु महतो थे। धरम महतो के मृत्यु के बाद उनके पुत्र रघु महतो दखल–कब्जा में आए। रघु महतो के दो पुत्र बढ़न महतो एवं गुली महतो हुए। बढ़न महतो के पांच पुत्र बंधन यादव उर्फ गोवर्धन यादव वो गजाधर यादव वो हरि यादव वो जीवन यादव एवं रूपलाल यादव हुए। बंधन यादव उर्फ गोवर्धन यादव के चार पुत्र राजेश यादव, बैजनाथ यादव, धनेश्वर यादव एवं नारायण यादव हुए। गुली महतो के दो पुत्र रामदेव यादव, ननकुनवा यादव हुए। नन्कुनवा यादव अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी सोनमतिया मसोमात एवं बेटी देवन्ती देवी को छोड़कर मृत हो गये। इस प्रकार धरम महतो के सभी जीवित वारिशान/उत्तराधिकार के

22/5

रूप में जमीन के संयुक्त हकियत दखल कब्जा में आए। रघु महतो को जगू महतो के नाम से भी जाना जाता था। ग्राम चेताग में बढ़न महतो, गुली महतो के नाम से पुराना एवं नया सर्वे खतियान बना है, जिसमें पिता का नाम जगू महतो दिखाया गया है। रघु महतो एवं जगू महतो एक ही व्यक्ति का नाम है।

वाद में प्रश्नागत भूमि गत सर्वे खाता संख्या–206 का हाल सर्वे खाता संख्या–279 प्लॉट संख्या–4345, 4357, 4397, 4411, 4450, 4451, 4458, 4468, 4481 बना है। हाल सर्वे में बढ़न महतो पिता–रघु महतो के नाम से खतियान दर्ज है। हाल सर्वे खतियान के प्रकाशन के बाद अंचल कार्यालय के द्वारा मालगुजारी रसीद भी हाल सर्वे के खतियानी रैयत बढ़न महतो के नाम से निर्गत हुआ है। बालेश्वर यादव द्वारा खतियानी रैयत के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द कर अपने भाई कमल महतो, ननकु महतो, रमल महतो एवं माँ करमी देवी के नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल कार्यालय, बालूमाथ में आवेदन पत्र दाखिल किया। बालेश्वर यादव द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराने के पश्चात् दोनों पक्षकारो के मामले की सुनवाई हुई। इसी क्रम में अपीलार्थीगण के जमीन को अंचलाधिकारी बालूमाथ के द्वारा फौती–फिरारी घोषित करते हुए जमीन की बंदोबस्ती बालेश्वर यादव एवं उनके भाई तथा मां के साथ कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा अचंल कार्यालय, बालूमाथ में फौती–फिरारी एवं बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति जमा किया गया। विपक्षी द्वारा जमा किए गए अभिलेख को पढ़ने के बाद अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि विविध वाद संख्या–01 / 1983–84 के द्वारा धरम महतो को नावल्द दिखलाकर जमीन को फौती–फिरारी घोषित किया गया है तथा उसी वर्ष में उसी अभिलेख से कमल महतो वगैरह के नाम से भूमि का बंदोबस्ती भी किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा काफी विरोध जताया गया। इसके बावजूद भी अंचलाधिकारी, बालूमाथ द्वारा हाल सर्वे के अनुसार विपक्षी के नाम पर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दे दिया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा फौती–फिरारी की कार्रवाई करते समय नियम–कानून की अनेदखी किया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–73 के प्रावधानों के अनुसार उपायुक्त, पलामू से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, जबकि उन्हें फौती–फिरारी या नावल्द होने की जानकारी उपायुक्त को देना आवश्यक है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ

से प्राप्त सूचना के आधार पर उपायुक्त द्वारा आम इस्तेहार निर्गत करते हुए एक माह बाद कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार अंचल अधिकारी के द्वारा फौती–फिरारी की कार्रवाई विपक्षी के पक्ष में मिली–जुली ढंग से किया गया है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–73 में प्रावधान है कि फौती–फिरारी घोषित करने के बाद बिहार सरकार की जमीन घोषित करने के बाद दूसरे कृषि वर्ष में बंदोबस्त की जाती है, किन्तु इन सारे प्रावधानों को एक खास व्यक्ति के फायदे के लिए नजर अंदाज कर दिया गया और एक ही अभिलेख से फौदी–फिराती एवं बंदोबस्ती की कार्यवाही कर दी गयी। इस परिस्थिति में गलत ढंग से कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मिली–जुली ढंग से कार्रवाई की गयी। उस आदेश के विरूद्ध अपील के लिए समय सीमा का भी प्रावधान लागू नहीं होता है। इस न्यायालय को सच्चाई को जांचने एवं कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–44 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण को अवैध तरीके से फौती–फिरारी एवं विपक्षीगण के बंदोबस्ती के विरूद्ध न्याय हेतु वाद लाने का पूर्ण अधिकार है। इस धारा के अन्तर्गत विपक्षीगण को बन्दोबस्त की गई भूमि का कागजात को साक्ष्य के रूप में स्वीकार योग्य नही है। माननीय उच्च न्यायालय के बी0एल0जे0आर0 पृष्ठ संख्या–216 के फैसले में भी दुःसंधीपूर्ण तरीके से या जालसाजी पूर्वक प्राप्त आदेश को शून्य माना गया है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–23 में वर्णित है कि रैयत के मरने के बाद उनके वारिसान ही रैयत के द्वारा छोड़े गये जमीन का रैयत होंगे। इस परिस्थिति में अपीलार्थीगण ही अपने पूर्वज की जमीन के रैयत है।

यह बात सत्य है कि अपीलार्थीगण का दो जगह जमीन है। कुछ जमीन ग्राम चेताग एवं कुछ कलकलीया में है। वे ग्राम चेताग में ही रहकर कलकलीया के जमीन में खेती करते थे। आर्थिक एवं शारीरिक ढंग से लाचार होने के कारण कुछ दिनों के लिए लाला महतो को अधबटाई के रूप में जमीन जोतने के लिए दिये थे। इसका नाजायज फायदा उठाकर लाला महतो अपना बेटा एवं पत्नी के नाम पर बंदोबस्ती करवा लिए। इस बात का भनक अपीलार्थीगण को नहीं लगी।

लाला महतो वर्ष 1983 से 1990 तक अधबटाई में खेती किये। अपीलार्थीगण वर्ष 1991 से जमीन वापस लेकर स्वयं खेती करना प्रारंभ कर

48
22/4

दिये। सारे जमीन पर धरम महतो पौत्र बढ़न महतो का कब्जा पाकर नया खतियान भी बना एवं सरकार के आदेश से वर्ष 1990 में प्रकाशित हुआ। समय-सीमा के अन्दर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित खतियान के विरूद्ध दिवानी या राजस्व न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के तहत् कोई वाद नहीं लाया गया। बिहार सरकार के द्वारा दिसम्बर 1976 में नया सर्वे का अध्यादेश जारी हुआ और उसकी शुरूआत वर्ष 1977 से हुई तथा सर्वे के कर्मचारी एवं पदाधिकारी सारे जमीन पर जाकर सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण किये और अंततः वर्ष 1990 में नया सर्वे खतियान प्रकाशित हुआ। इस बीच किसी ने कोई आपति या रिभीजनल सुट दाखिल नहीं किया। इस प्रकार हाल सर्वे खतियान अप्रक्षुण्ण रह गया। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 91 में वर्णित है कि जब किसी क्षेत्र में सर्वे का काम प्रारंभ होता है, तो राज्य सरकार के राजस्व कर्मचारी या पदाधिकारी को राजस्व से संबंधित कोई आदेश नहीं करना है, किन्तु सर्वे का कार्य वर्ष 1977 से प्रारंभ होकर वर्ष 1990 में समाप्त हुआ। उस अवधि मे दफा 73 के तहत् फौती-फिरारी एवं बन्दोबस्ती कार्यवाही की गयी जो बिल्कुल ही नियम के विरूद्ध एवं प्रक्रिया निष्प्रभावी है। सर्वे अवधि में अंचल अधिकारी, बालूमाथ को दफा 73 की कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं बन्दोबस्ती करने का अधिकार नहीं था। इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा-44 का प्रावधान भी लागू होता है। इस प्रकार कानूनी तथ्यों से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, बालूमाथ का फौती-फिरारी एवं बंदोबस्ती की कार्यवाही एवं विपक्षीगण के पक्ष में हाल सर्वे के अनुसार मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश बिलकुल ही संदिग्ध एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन का प्रतीक है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के विविध अपील वाद संख्या-02/2021-22 में पारित आदेश को निरस्त एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा सुविवेचित एवं न्यायसंगत रूप से विविध अपील वाद संख्या-02/2021-22 में दिनांक 20.09.2022 को पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, बालूमाथ के द्वारा विविध वाद संख्या-15/2020-21 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया है।

इस संबंध में न्यायालय के समक्ष यह कहना है कि Cadastral सर्वे

43/2/1

खतियान में खाता नं0–206 धरम महतो के नाम से कुल रकबा–18.94 एकड़ जमीन दर्ज था। धरम महतो के दो पुत्र रघु महतो एवं लेहड़ा महतो दोनों का नावल्द मृत हो गये। खतियानी रैयत के वंशज की मृत्यु के बाद उस जमीन पर दावा करने वाले कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। इसलिए उक्त जमीन में से 7.34 एकड़ जमीन जिसपर विपक्षी के पूर्वज नन्हकु महतो पिता–लाला माहतो को कब्जा 30 वर्ष पूर्व से था। उक्त जमीन का फौदी–फिराती प्रक्रिया शुरू की गई तथा आम इस्तहार दिनांक 05.10.1983 को निर्गत कर दावा प्रस्तुत करने की सूचना दी गई। सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विविध वाद संख्या–01 / 1983–1984 में दिनांक 26.04.1984 को पारित आदेश के द्वारा खाता संख्या–206 रकबा–7.34 एकड़ जमीन को फौती–फिराती घोषित करते हुए उक्त खाता नं0–206 प्लॉट नं0–2765, 2662, 2665, 2701, 2766, 2767, 2775, 2786, 2760 एवं 2761 की भूमि नन्हकु महतो के नाम से बंदोबस्त किया गया। बन्दोबस्त भूमि का विवरणी इस प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
बलू	100	206	2765	0.07
			2662	1.06
			2665	0.48
			2701	0.56
			2766	0.56
			2767	0.85
			2775	0.83
			2786	0.51
			2760	1.00
			2761	1.68
			कुल	7.34 एकड़

बन्दोबस्ती के बाद उक्त भूमि का जमाबंदी इस प्रकार कायम किया गया है:–

45
22/4

1. कमल महतो पिता–लाला महतो

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	जमाबंदी संख्या एवं लगान
बालू	100	206	2766	0.50 एकड़	783 / 1955–1956 से 2014–2015 तक लगान रसीद उपलब्ध

2. करमी देवी, पति–लाला महतो

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	जमाबंदी संख्या एवं लगान
बालू	100	206	2775	0.63 एकड़	784 / 1955–1956 से 2014–2015 तक लगान रसीद उपलब्ध

3. रमल महतो पिता–लाला महतो

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	जमाबंदी संख्या एवं लगान
बालू	100	206	2760	1.00	785
			2767	0.85	1976–1977 से 2014–2015 तक लगान रसीद उपलब्ध
			2786	0.51	
			कुल–	2.36 एकड़	

4. नन्हकु महतो पिता–लाला महतो

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	जमाबंदी संख्या एवं लगान
बालू	100	206	2701	1.56	785
			2665	0.48	1955–1956 से 1998–1999 तक लगान रसीद उपलब्ध
			2662	1.06	
			कुल–	2.10 एकड़	

जमाबंदी कायम होने के बाद बन्दोबस्ती–रैयतो द्वारा नियमित रूप से

लगान वर्ष 2015 तक भुगतान किया गया। उक्त जमीन पर विपक्षी का विगत 70 वर्षों से जोत-कोड़, खेती-बारी एवं दखल-कब्जा में चले आ रहे है। माननीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के विविध वाद संख्या-01/1983-1984 में दिनांक 26.04.1984 को पारित आदेश द्वारा हासिल है, जो सही एवं अंतिम है। अपीलार्थी द्वारा हाल सर्वे में अनैतिक रूप से बढ़न महतो पिता-रघु महतो का नाम खतियान में दर्ज करा लिया गया, जिसकी जानकारी विपक्षी को नहीं थी और न ही उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस दिया गया। हाल सर्वे में इस तरह की कई गड़बड़ियों को उजागर होने पर झारखण्ड सरकार ने अधिसूचना संख्या-438 दिनांक 31.10.2019 द्वारा लातेहार जिला के सभी अंचलों में पुनः सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है, जिसका गजट का प्रकाशन किया गया है। राज्य सरकार के अधिसूचना से स्पष्ट है कि हाल सर्वे के प्रकाशन अंतिम एवं प्रमाणिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में जमाबंदी कायम करना सर्वाधिक अनुचित एवं गैर-कानूनी था। इसलिए अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा विविध वाद संख्या-15/2020-2021 में दिनांक 24.05.2021 के पारित आदेश के द्वारा ऑनलाईन पंजी-2 में आवश्यक संशोधन करते हुए विपक्षीगण के पक्ष में जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित किया गया है, जो सर्वथा न्यायोचित है।

विपक्षी द्वारा न्यायालय भूमि-बन्दोबस्त पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में दिनांक 23.03.2023 को भू-बन्दोबस्ती वाद दाखिल किया गया है, जिसके तहत् भू-अभीलेख में परिवर्तन करने का निवेदन किया गया जो लंबित है। इस प्रकार भू-अभिलेख अंतिम एवं प्रमाणित नहीं है। इस अपील वाद में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा-73 के तहत् पारित आदेश के संदर्भ में विवेचन करते हुए उसके वैधता पर सवाल उठाया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। यह अपील वाद पोषणीय नहीं है और इस आधार पर यह खारीज करने योग्य है। अपीलवाद मे वर्णित धरम महतो के वंशज के संबंध में यह कहना है कि अपीलार्थी का दावा गलत एवं तथ्य से परे है। विविध वाद संख्या-01/1983-1984 में आम इस्तेहार दिनांक 05.10.1983 प्रकाशित की गई थी, जो अभिलेख में उपस्थापित है, परन्तु उक्त विविध वाद में धरम महतो का कोई भी वारिस न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त जमीन पर अपना दावा

45
22/1

प्रस्तुत नहीं किया था। तत्पश्चात् ही न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–73 के तहत् उक्त जमीन को फौती फिरारी घोषित करते हुए 7.34 एकड़ जमीन विपक्षी के पूर्वज के पक्ष में बंदोबस्ती किया गया है, जिसकी वैधता की चुनौती 37 सालों के बाद न्यायालय में नहीं की जा सकती है। विविध वाद संख्या–01/1983–1984 में दिनांक 26.04.1984 को पारित आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी है।

खाता संख्या–206 के प्लॉट संख्या–2743, 2758, 2759 एवं 2760 कुल रकबा–3.48 एकड़ जमीन मन्हें उरांव वल्द मंगरा उरांव उर्फ सधवा उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है एवं खाता संख्या–206 के प्लॉट संख्या– 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2732, 2697 एवं 2825 कुल रकबा–8.12 एकड़ जमीन चिखु उरांव पिता–सुधु उरांव उर्फ साधु उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है। इस तरह कुल 18.94 एकड़ जमीन में से रकबा–11.60 एकड़ जमीन उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी कायम है। अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के अलावा उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम चल रहे जमाबंदी पर दावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का दावा निराधार एवं दूषित मानसिकता से युक्त है।

अपीलार्थी का यह कथन कि सी०एस० खाता नं०–206, का हाल सर्वे खाता नं०–279, एवं प्लॉट नं०–4345, 4357, 4397, 4411, 4450, 4451, 4457, 4458, 4468 और 4481 कुल रकबा–6.51 एकड़ बढ़न महतो के नाम पर प्रकाशित किया गया है। उक्त संदर्भ संबंध में कहना है कि सर्वे के त्रुटि पूर्ण होने के कारण ही राज्य सरकार झारखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–438 दिनांक 3010.2019 के द्वारा पुनः सर्वे का आदेश दिया गया है। इस तरह यह अंतिम प्रकाशन नहीं है और इसके आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। विपक्षी का दावा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा विविध वाद संख्या–01/1983–84 में दिनांक 26.04.1984 को पारित आदेश के द्वारा हासिल है, जो न्याय संगत है एवं अंतिम है।

द्वितीय पक्ष द्वारा कंडिकाबार प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जो इस प्रकार है:–

कंडिका–1: अभिकथन सत्य से विलग है एवं न्यायसंगत नहीं है जिसके संदर्भ में कथन यह है कि धरम महतो के दो संतान हुए रघु महतो एवं

48/22/9

लेहड़ा महतो दोनों का देहान्त नावल्द हो गया धरम महतो के वंशज का विवेचन पूर्णतः असत्य है तथा जमीन पर कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। यह भी कथन असत्य है कि रघु महतो एवं जगू महतो एक ही व्यक्ति है ऐसा केवल माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित करने के लिए तथा अपनी दावा की पुष्टी के लिए झूठा एवं मनगढंत वारीशान बनाया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही धारा–73 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के आदेश के समय ही विविध वाद संख्या–01/1983–84 में ही पुष्टि की गई है, जो अंतिम एवं बाध्यकारी है। वास्तव में रघु महतो और जगु महतो दो अलग–अलग व्यक्ति है तथा अलग गांव के निवासी है और उन दोनों के पिता का नाम भी अलग है। जिस बात की पुष्टि नया सर्वे खतियान से होती है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बढ़न महतो एवं गुली महतो पिता–जगू महतो निवारी ग्राम–चेताग, खाता संख्या–93 के खतियानी रैयत है, जबकि रघु महतो निवासी ग्राम–बालू नावल्द मृत है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा रघु महतो एवं जगू महतो को एक ही व्यक्ति बता कर विपक्षी के जमीन पर नाजायज दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। खाता नं0–279 में बढ़न महतो पिता–रघु महतो के नाम से खतियान में गलत दर्ज होने के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में सुधार हेतु वाद दाखिल किया जा चुका है, जो लम्बित है।

कंडिका–2: जमीन का जमाबंदी करमी देवी, कमली महतो, नन्हकु महतो, रमल महतो के नाम से जमाबंदी कायम है। पुनः नये व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करना सर्वथा अनुचित था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया जो न्यायसंगत है। इस प्रकार अंचलाधिकारी, बालूमाथ द्वारा पूर्व के जमाबंदीधारीयों के नाम लगान निर्गत करने का आदेश सर्वथा न्याय संगत एवं कानून के प्रावधानों के अनुरुप है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा भी यह व्यवस्था दी गई की लम्बें समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

कंडिका–3: विपक्षी द्वारा फौती फिरारी एवं बन्दोबस्ती का निम्न न्यायालय में दस्तावेज दाखिल किया गया था, जिस दस्तावेज में धरम महतो के दोनों पुत्रों को नावल्द करार दिया गया न की धरम महतो को नावल्द करार दिया गया। धरम महतो को किसी दस्तावेज में नावल्द नहीं दिखलाया गया है। जबकी उनके दोनों पुत्र नावल्द थे। जो प्रमाणित तथ्य है। इस बात की पुष्टि

इस तथ्य से भी होती है कि विविध वाद संख्या–01/1983–84 के आम इस्तेहार के बाद कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ तथा वह आदेश अंतिम आदेश है, जिसपर पुनः विवेचन करने का प्रावधान नहीं है, जिसपर कानून का निबंध लागू होता है।

कंडिका–4: अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व के जमाबंदी एवं लगान रसीद तथा फौति फिरारी के द्वारा पारित आदेश जो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित है, जिसके अनुपालन में न्यायसंगत आदेश पारित कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया जो सर्वथा, न्यायसंगत एवं कानून के प्रावधानों के तहत् उचित है।

कंडिका–5: धारा–73 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम में कानून सम्मत आदेश पारित किया गया है, जो अंतिम एवं बाध्यकारी आदेश है, जिकका विवेचन पूर्व के कंडिकाओं में किया गया है। माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–3 (VIII) के तहत् उपायुक्त के अधिकारो का प्रयोग करते हुए आम इस्तेहार प्रकाशित किया गया एवं धारा–73 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत् सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त भूमि को फौती फिरारी न्यायसंगत ढंग से घोषित किया गया है, जो अंतिम एवं बाध्यकारी है एवं पूर्णतः न्यायसंगत है।

कंडिका–6 एवं 7: न्यायालय को दिग्भ्रमित करने हेतु कहा जा रहा है, जिसका जवाब यह है कि धारा–73 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत् सक्षम पदाधिकारी द्वारा सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया जो अंतिम एवं बाध्यकारी आदेश है, जिसे किसी तरह के नैतिक ढंग से प्राप्त नहीं किया गया है और इस संदर्भ में आवेदक द्वारा निराधार आरोप (Baseless Allegation) है, जिसका कोई साक्ष्य/प्रमाण आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत् उक्त दस्तावेज को प्रमाणित मानने का प्रावधान है। अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में सर्वथा असफल रहे हैं कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का उक्त आदेश दोषपूर्ण है और जिसपर कानून का विबन्ध भी लागू होता है। इस प्रकार फौती–फिरारी का आदेश न्यायसंगत अंतिम एवं बाध्यकारी आदेश है।

कंडिका–8: खतियानी रैयत धरम महतो के दोनो पुत्र नावल्द स्वर्गवास कर गए जो विविध वाद संख्या–01/1983–84 के तहत् संपुष्ट एवं

US 22/9

प्रमाणित है। धारा–23 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम यहां कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज नहीं है, झूठा दावा कर रहे है।

कंडिका–9: जमीन कभी भी लाला महतो द्वारा अधबटाई में नहीं किया गया, जबकि धारा–73 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के कार्यवाही के 30 वर्ष पूर्व से विपक्षी के पूर्वज का जमीन पर दखल कब्जा था तथा जमीन की बंदोबस्ती न्यायसंगत ढंग से लाला महतो के पत्नी एंव बेटों के नाम से जमाबंदी कायम किया गया, जो न्यायसंगत है, तथा अंतिम आदेश के तहत् कार्रवाई किया गया है।

कंडिका–10: वर्ष 1983 से 1990 तक अधबटाई विपक्षी के पूर्वज द्वारा किया गया एंव 1991 से जमीन वापस लेकर स्वयं खेती कर रहे है सर्वथा असत्य है। क्योंकि फोति फिरारी के 30 वर्ष अर्थात् वर्ष–1953–54 से जमीन पर दखलकब्जा था तथा जमाबंदी कायम हुआ एवं लगान 1955–56 से लगान अदा किया गया तथा उस समय से वर्तमान समय तक खेती–बारी करते आ रहे है। खतियान के सुधार हेतु सक्षम न्यायालय में मामला लम्बित है। भू–अभिलेख अंतिम एवं प्रमाणिक नहीं है। पूर्व का खतियान अंतिम भू–अभिलेख नहीं है।

कंडिका–11: सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कर पुनः भू–सर्वेक्षण का निर्णय लिया गया जिसका विवेचन पूर्व के कंडिका में किया जा चुका है, अतः उक्त भू–अभिलेख को अंतिम एवं बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है, इसलिए उक्त भू–अभिलेख को अप्रक्षुण्ण नहीं मान जा सकता है।

कंडिका–12 एवं 13: कानून के प्रावधानों के तहत् पूर्व के जमाबंदी के आधार पर जिसे धारा–73 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत् कानूनसंगत ढंग से सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो अंतिम आदेश है के आलोक में जमाबंदी कायम हुआ एवं वर्तमान में लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया जो न्यायसंगत एवं कानून के प्रावधानों के तहत् है। उक्त आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा न्याय संगत आदेश पारित कर अंचल अधिकारी के आदेश को न्यायसंगत कहा गया है। इसलिए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश न्यायसंगत एवं कानून सम्मत है। विविध वाद संख्या–08/2023 को न्यायहित में निरस्त कर माननीय अंचल अधिकारी, बालूमाथ के आदेश दिनांक 24.05.2021 जो विविध वाद संख्या–15/2020–21

48
2019

वाद में पारित किया गया है, एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को आदेश दिनांक 20.09.2022 जो विविध अपील वाद संख्या–02/2021–22 में पारित आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निम्नांकित बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्यक है:–

1. अपीलार्थी द्वारा धरम महतो के एक पुत्र रघु महतो तथा विपक्षी द्वारा धरम महतो के दो पुत्र रघु महतो एवं लेहड़ा महतो बताया गया है?
2. अपीलार्थी द्वारा रघु महतो के दो पुत्र बढ़न महतो एवं गुली महतो दर्शाया गया है, जबकि विपक्षी द्वारा रघु महतो को नावल्द मृत बताया गया है?
3. अपीलार्थी द्वारा रघु महतो एवं जगु महतो एक हीं व्यक्ति का नाम दर्शाया गया है, जबकि इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।
4. अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नागत भूमि के रैयत के वारिशान के संबंध में कोई ठोस सबुत प्रस्तुत नही किया गया है।

इस प्रकार यह मामला स्वत(हक हकियत्त) निर्धारण से संबंधित प्रतीत होता है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बालूमाथ तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.25 14:34:20 +05:30
Location: 192.168.93.92

22/4

उपायुक्त,
लातेहार।

22/4

उपायुक्त,
लातेहार।